तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20/2/2026	सील अभियुक्त व अभियोजी केस्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रकरण हेतु अग्रिम अन्तिम अवसर इस आधार पर दिया जाता है कि आगामी पेशी पर पेशकर्ता होने हेतु तथा बहस सुनाने दिनांक 17/3/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़	
17/3/2026	सील अभियुक्त व अभियोजी केस्या 1 व 2 के पक्ष पेश नहीं। बहस दिया जाता है। बहस सुनी गई। प्रति 100 प्रतिशत आरोपित भूमि सीमा टलक उपर की थी। पिछले प्रकरणों का एक विस्तार भी निहित है। परन्तु साक्ष्य रेकर्ड के साथ दर्ज नहीं होने से दूर-दूर रखे पर अभियोजी केस्या। नि 3 उत्तरदायी है। अतः अभियोजी निवेदनों से पेश बहस किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा0 100 आधिक्य स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि इस वाद 32/2023 के निर्णय तक भौमा तायरेकी 100 ए0 सालाखेड़ा की आ0 प्र0 110 111, 112, 113 32 में स्थित रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैमल खुमार केस नम्बर के रूप हो। आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़	